

राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक 20.7.11

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)वित्त/कर/07-156 दिनांक 09.03.2007 समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में प्रतापगढ़ उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में क्रम संख्या-1 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "तहसीलदार प्रतापगढ़" को अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार प्रतापगढ़" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(प.5(31)वित्त/कर/2011-34)

राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डा0 रविकुमार एस.)

शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,

"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(37)जन/11/16950-17400 दिनांक: 22.7.11

राज्य अधिसूचना क्रमांक प.5(31)वित्त/कर/2011-34 दिनांक 20.7.11 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
12. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
13. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर